बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-239037, Fax 07782-239037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक. 1653/ब.वि.वि./2010 जगदलपुर, दिनांक 27/11/2010

बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर छ.ग. की विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 24–11–2010 की कार्यवृत्त

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26)

विद्या परिषद की बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित थे:–

01.	प्रोफे. श्रीमती जयलक्ष्मी ठाकुर, कुलपति	–	अध्यक्ष
02.	फादर टी.जे. पॉल,	–	सदस्य
03.	डॉ. एम.आई. मेमन,	–	सदस्य
04.	डॉ. श्रीमती व्ही. विजयलक्ष्मी	–	सदस्य
05.	श्रीमती एस. गौराहा	–	सदस्य
06.	डॉ. पी.के. गौराहा	–	सदस्य
07.	श्री एम.कुजूर	–	सदस्य
08.	डॉ. रश्मि शुक्ला	–	सदस्य
09.	श्री एस.एन. डहरिया	–	सदस्य
10.	डॉ. एम.पी. गुप्ता	–	सदस्य
11.	डॉ. एम.एन. लखनपाल	–	सदस्य
12.	श्री बी.एन. सिन्हा	–	सदस्य
13.	श्री व्ही.के. श्रीवास्तव	–	सदस्य
14.	श्री एस.के. गुप्ता	–	सदस्य
15.	डॉ. शरद नेमा	–	सदस्य
16.	श्री एस.के. श्रीवास्तव	–	सदस्य
17.	श्रीमती शिखा सरकार	–	सदस्य
18.	डॉ. स्वपन कोले	–	सदस्य
19.	डॉ. सरला आत्राम	–	सदस्य
20.	डॉ. टी.आर. रात्रे	–	सदस्य
21.	डॉ. व्ही.के. सोनी	–	सदस्य
22.	डॉ. जे.के. जैन,	–	सचिव

माननीया कुलपति महोदया ने समस्त सदस्यों से निवेदन किया कि, चूंकि विद्या परिषद की बैठक पहली बार हो रही है, अतः समस्त सदस्यगण अपना–अपना परिचय दें। समस्त सदस्यगण अपना–अपना परिचय दिये।

भूमिकाः– पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से दिनांक 2.09.2008 को अलग होकर बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर का अस्तित्व हुआ है। दिनांक 1.10.2008 को प्रथम कुलपति के रूप में प्रो. श्रीमती जयलक्ष्मी ठाकुर कुलपति के पद पर कार्यभार ग्रहण की। धारा 15–ए के अनुसार–द्वितीय अनुसूची के भाग–2 में विर्निदिष्ट किये गये प्रत्येक विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद्, विद्या–परिषद् और उसके अन्य प्राधिकारियों का गठन विश्वविद्यालय की स्थापना की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर करे और उक्त प्राधिकारियों का गठन होने तक कुलपति को यथास्थिति विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद्, विद्या–परिषद् या उसका ऐसा अन्य प्राधिकारी समझा जाएगा और इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन ऐसे प्राधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का या उन पर अधिरोपित कर्तव्य का प्रयोग तथा पालन करेगा। उस दिनांक 1.10.2008 के पश्चात् दो वर्ष तक प्रथम कुलपति को यह अधिकार था की वह विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद्, विद्या–परिषद् एवं अन्य समस्त समितियों के बिना स्वयं निर्णय ले दिनांक 1.10.2010 के पश्चात् विश्वविद्यालय की समस्त समितियॉ अपने शक्तियों एवं कर्तव्यों के अनुसार कार्य का निष्पादन कर सके। इस हेतु बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर के विद्या–परिषद् की बैठक आहूत की गई है।

बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर के अंतर्गत 3 अध्ययनशालायें क्रमशः (1) मानव विज्ञान एवं जनजातीय अध्ययन शाला (2) वानिकी एवं वन्यजीव अध्ययन शाला (3) रूरल टेक्नालॉजी इसके अतिरिक्त कुल 25 महाविद्यालय (शा. महाविद्यालय 19 एवं अशासकीय महाविद्यालय 6) हैं। सत्र 2009–10 में करीब 29758 छात्र–छात्रायें परीक्षा में बैठे थे। मुख्य परीक्षा एवं पूरक परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हुआ तथा मुख्य परीक्षा एवं पूरक परीक्षा परिणाम घोषित हो चुके हैं। पुर्नमूल्यांकन के समस्त परिणाम भी घोषित हो चुके हैं। सत्र 2010 एवं 2011 की मुख्य परीक्षा हेतु कार्यवाही चल रही है।

दिनांक 24.11.2010 की बैठक में निम्न बिंदुओं पर निर्णय लिया गया हैः–

पद क्रमांक–1

छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26 (1) (सात) के अनुसार परीक्षाओं के संचालन के लिये इंतजाम करना तथा परीक्षाफल तैयार करना एवं ऐसे परीक्षा फल कार्यपरिषद् को प्रकाशनार्थ प्रतिवेदित करने के लिये परीक्षाफल समितियों की नियुक्ति करना जिनमें उसके अपने सदस्य या अन्य व्यक्ति या दोनों, जैसा की वह उचित समझे, होंगे उल्लेख है।

इस हेतु परीक्षाफल समितियों की नियुक्ति हेतु समिति का गठन करना आवश्यक हो गया है ताकि सत्र 2010–11 के परीक्षाफल समिति की नियुक्ति की जा सके। विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष के पद पर डॉ. एम.आई. मेमन रहेंगे तथा सदस्य के रूप में डॉ. रश्मि शुक्ला, डॉ. एम.एल. लखनपाल रहेंगे।

पद क्रमांक–2

छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26 (1)(8) के अनुसार– किसी विषय में प्रख्यात व्यक्तियों को इस प्रयोजन से मान्यता देना कि वे उस विषय में गवेषणा के संबंध में पथ प्रदर्शन करें।

उक्त विषय में बैठक में सदस्यगणों से सुझाव आमंत्रित है।

निर्णयः– **कोई सूझाव नहीं आया।**

पद क्रमांक–3

छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26 (2) में स्पष्ट प्रावधान है कि– विद्यापरिषद् एक स्थायी समिति की नियुक्ति कर सकेगी जिसमें कि उसके (विद्या परिषद्) के सदस्य होंगे। उक्त स्थायी समिति के गठन, शक्तियों तथा कृत्यों का अवधारण परिनियमों द्वारा किया जाएगा।

इस हेतु परिनियम–7 पहले से विद्यमान है जिसमें परिनियम–7 (1)(प)() तथा(इ) के अनुसार स्थाई समिति में कुलपति जी एवं समस्त संकायाध्यक्ष होते हैं।

उक्त व्यवस्था के अलावा यदि विद्यापरिषद् के सदस्यगण स्थाई समिति हेतु और अन्य सदस्यों को रखना चाहते हैं, तो नाम प्रस्तावित कर सकते हैं, ताकि प्रस्ताव के अनुसार परिनियम–7 में आवश्यक संशोधन किया जा सके।

निणर्यः– **कोई सुझाव नहीं आया।**

पद क्रमांक–4

छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26 (1)(छः) के अनुसार– व्यक्तियों के विश्वविद्यालय के अध्यापकों के रूप में मान्यता देने के लिये अर्हतायें विहित करना तथा ऐसी मान्यता प्रदान करना– का प्रावधान है।

इस हेतु दिनांक 1.1.2008 तक पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अध यादेश 4 प्रभावशील थे, परंतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली ने शिक्षकों के लिये नई योग्यताओं का निर्धारण किया है, ऐसी स्थिति में शिक्षकों की नियुक्ति एवं पदोन्नति में संशोधन करने के लिये अध्यादेश क्रमांक 4 में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है।

संशोधित अध्यादेश क्रमांक 4 विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है। (यह संशोधित अध्यादेश क्रमांक 4 पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा तैयार किया गया है तथा उस विश्वविद्यालय ने कार्यपरिषद् से अनुमोदन कर चुका है)

निणर्यः– **निर्णय लिया गया कि पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के द्वारा तैयार किये गये एवं उस विश्वविद्यालय के कार्य परिषद के निर्णय को बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की विद्या परिषद अंगीकार करती है।**

पद क्रमांक–5

एम.एस.सी. रूरल टेक्नालॉजी पाठ्यक्रम संचालित करने की सूचना–बस्तर विश्वविद्यालय के अध्ययनशाला में पूर्व से मानव विज्ञान एवं वानिकी एवं वन्यजीव पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं, जब बस्तर विश्वविद्यालय का गठन नहीं हुआ था तथा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अंतर्गत बस्तर कैम्पस संचालित था। बस्तर विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आने के पश्चात् एम.एस.सी.(रूरल टेक्नालाजी) पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है जिनकी कक्षायें सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं। अध्ययन मंडल द्वारा पारित पाठ्यक्रम अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। (दिनांक 24.11.2010 को पटल पर रखा जावेगा)

निर्णयः– अध्ययन मण्डल द्वारा पारित पाठ्यक्रम को अनुमोदित किया गया।

पद क्रमांक–6

पाठ्यक्रम में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव– (दिनांक 24.11.2010 को बैठक में रखा जावेगा)

निर्णयः–

(क) वानिकी एवं वन्य जीव – सुझाव दिया गया कि दूसरे अन्य विश्वविद्यालय एवं आई.सी.ए.आर. से देखकर एवं सही तरीके से अध्ययन पूर्ण तैयारी के साथ पुनः विद्या परिषद में रखी जावे।

(ख) अंग्रेजी – आगामी बैठक में रखी जावे।

(ग) हिन्दी – अध्ययन मण्डल के सुझाव को अमान्य किया गया।

(घ) मानव विज्ञान एवं जनजातीय अध्ययन– विस्तृत कार्ययोजना एवं पूर्ण तैयारी के साथ आगामी बैठक में रखी जावे।

(ङ.) स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में परिवर्तन के संबंध में (केन्द्रीय अध्ययन मण्डल) औचित्य के साथ राज्य शासन के पास भेजा जावे। आवश्यकतानुसार आंशिक परिवर्तन ही किया जावे।

(च) विधि – आगामी बैठक में रखी जावे।

पद क्रमांक–7

ढोकरा कला (गढ़वा काम) में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के संबंध में–बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर द्वारा सत्रहवीं समन्वय समिति के बैठक के पूर्व ढोकरा कला (गढ़वा काम) में पत्रोपाधि हेतु पाठ्यक्रम संचालन करने के लिए नया अध्यादेश पारित करने हेतु प्रस्ताव भेजा गया था। प्रस्ताव अध्यादेश एवं शुल्क के संबंध में पूर्व में भेजे गए अभिलेखों को पुनः संलग्न किया जा रहा है। सत्रहवीं समन्वय समिति की बैठक दिनांक 29.04.2010 में यह निर्णय लिया

गया कि– "प्रस्ताव पर यह सुझाव दिया कि बस्तर की लोक संस्कृति के आधार पर पूर्व तैयारी के साथ आवश्यक व्यवस्था उपरांत ऐसे पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये जायें"

उपरोक्त निर्णय अथवा सुझाव के अनुसार पुनः विचार हेतु विद्यापरिषद् में प्रस्ताव प्रस्तुत है, ताकि सुझाव एवं संशोधन के उपरांत पुनः समन्वय समिति के पास प्रस्ताव भेजा जा सके।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि (1) अध्यादेश का क्रमांक 001 हो। (2) शुल्क आवश्यकतानुसार वृद्धि की जावे। (3) प्रदर्शनी की व्यवस्था हो। (4) सर्वप्रथम साहित्य तैयार की जावे।

उपरोक्त सुझाव के आधार पर प्रस्ताव को पारित किया गया।

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर छत्तीसगढ़ के विद्या परिषद की बैठक दिनांक 24.11.2010 हेतु पूरक विषय सूची के कार्यवृत्त–

विषय क्रमांक 1–

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अध्यादेशों में परिवर्तन हेतु –

विभागीय टीप –

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अध्यादेश विश्वविद्यालय में लागू है, परन्तु इसमें दो महत्वपूर्ण समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। **प्रथम** – यदि कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न पत्र में अनुपस्थित रहता है फिर भी अन्य प्रश्न पत्रों में एग्रीगेट अंक प्राप्त करने के पश्चात् उत्तीर्ण हो जाता है। **द्वितीय** –यदि कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न पत्र में अनुचित साधन का प्रयोग (नकल) करते हुए पकड़ा जाता है, फिर भी अन्य प्रश्न पत्रों में एग्रीगेट अंक प्राप्त करने के पश्चात् उत्तीर्ण हो जाता है।

मास्टर ऑफ आर्टस, मास्टर ऑफ साइंस तथा एम.काम (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम) में ऐसी व्यवस्था उचित प्रतीत नहीं होती है क्योंकि विद्यार्थी को स्नातकोत्तर की उपाधि दी जाती है। प्रकरण विचार हेतु प्रस्तुत है।

निर्णयः–निम्न निर्णय लिये गयेः–

(1) विद्यार्थी को सभी प्रश्न पत्रों में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
(2) एग्रीगेट अंक 36 प्रतिशत प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
(3) किसी भी प्रश्न पत्र में न्यूनतम अंक 20 प्रतिशत प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
(4) अनुचित साधन (नकल) निराकरण समिति चाहे तो विषय से संबंधित शिक्षक को बुला सकती हैं।
(5) यदि विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़ा जाता है और नकल करना प्रमाणित हो जाता है तो उसे अनुत्तीर्ण घोषित किया जावे।

विषय क्रमांक 2–

बस्तर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत अध्ययनशालाओं एवं महाविद्यालयों हेतु नये डिग्री पाठ्यक्रम हेतु आमंत्रण करने बाबत् –

विषय क्रमांक 5–

अंकसूची में माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा दर्शाने के संबंध में –

विभागीय टीप –

वर्तमान में प्रत्येक अंकसूची में माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी दर्शाया जा रहा है जिससे अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो रही है। प्रकरण विचार हेतु प्रस्तुत है।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि अंक सूची में माध्यम हिन्दी या अंग्रेजी का उल्लेख नहीं किया जावे। सदस्यों के द्वारा दिये गये सुझाव निम्नानुसार हैं:–

01. अंकसूची हेतु उपयोग की जाने वाली पेपर उत्तम गुणवत्ता के हों। इस सुझाव को विश्वविद्यालय ने मान्य किया।
02. मूल्यांकनकर्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली अवार्ड लिस्ट के पर्ण एवं प्रति पर्ण चौड़े होने चाहिये। इस सुझाव को विश्वविद्यालय ने मान्य किया।
03. पाठ्यक्रम हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होनी चाहिये। इस सुझाव को विश्वविद्यालय ने भविष्य में मान्य हेतु आश्वासन दिया।

कुलसचिव,
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

पृ.क्रमांक. 1654/ब.वि.वि./2010 जगदलपुर, दिनांक 27/11/2010

प्रतिलिपिः–

01. सचिव, कुलाधिपति कार्यालय, राजभवन रायपुर, को सादर सूचनार्थ।
02. मान. कुलपतिजी के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय को सादर सूचनार्थ।
03. विद्या परिषद के समस्त सदस्यों को सादर सूचनार्थ।
04. बस्तर विश्वविद्यालय के समस्त शाखाओं को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ।

कुलसचिव,
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर